

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

मांग संख्या 83

विकलांगजन सशक्तीकरण विभाग

क. वस्तुओं को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व	301.26	65.45	366.71	530.40	71.54	601.94	505.00	70.95	575.95	670.00	83.56	753.56
पूँजी	36.58	...	36.58	35.00	...	35.00	35.00	...	35.00	30.00	...	30.00
जोड़	337.84	65.45	403.29	565.40	71.54	636.94	540.00	70.95	610.95	700.00	83.56	783.56
ब.अ. 2016-2017												
1. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	2235	2.27	2.27
	2251	16.54	16.54
	जोड़	18.81	18.81
2. निःशुल्क व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम												
2.01 विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	2235	17.55	...	17.55
2.02 विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय आप्रवासी छात्रवृत्ति	2235	0.90	...	0.90
2.03 विकलांग व्यक्तियों के लिए उच्च प्रकार की शिक्षा	2235	0.90	...	0.90
2.04 विकलांग छात्रों के लिए मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति	2235	7.20	...	7.20
2.05 विकलांग छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति	2235	3.60	...	3.60
2.06 विकलांग व्यक्तियों के लिए निःशुल्क कोचिंग	2235	1.00	...	1.00
2.07 सूचना एवं जन शिक्षा	2235	70.00	...	70.00
2.08 विकलांग व्यक्तियों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण तथा संवेदीकरण एवं रोजगार राष्ट्रीय तथा राज्य मिशन एवं जागरूकता सृजन तथा प्रचार	2235	5.16	...	5.16
2.09 विकलांगों के लिए सहायता एवं सहायक उपकरण	2235	117.00	...	117.00
2.10 विकलांगता से संबंधित प्रौद्योगिकीय उत्पादों तथा पहलुओं पर अनुसंधान खर्च	2235	0.40	...	0.40

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
2.11 विकलांग व्यक्तियों के लिए दीन दयाल पुनर्वास स्कीम	2235	40.50	...	40.50
2.12 द्विपक्षीय करारों के अंतर्गत शुल्क मुक्त वस्तुओं की खेप के क्लीयरेंस से संबंधित कार्य	2235	0.01	0.01
2.13 विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 के कार्यन्वयन से संबंधित स्कीमें	2235	116.80	...	116.80
	3601	45.00	...	45.00
	जोड़	161.80	...	161.80
2.14 राज्यस्तरीय स्पाइनल इंज्युरी सेंटर की स्थापना	2235	4.00	...	4.00
2.15 निःशक्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	3601	0.01	...	0.01
2.16 पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम के लिए प्रावधान	2552	52.40	...	52.40
जोड़- निःशक्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम		482.42	0.01	482.43
3. स्वायत्त निकाय तथा संस्थाएं												
3.01 राष्ट्रीय अन्ध, बधिर, मानसिक विक्षम और अस्थि विकलांग संस्थान	2235	100.00	62.74	162.74
3.02 भारतीय पुनर्वास परिषद	2235	3.00	2.00	5.00
3.03 कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम	2235	5.00	...	5.00
3.04 राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम	4235	27.00	...	27.00
3.05 स्पाइनल इंज्युरी सेंटर	2235	2.00	...	2.00
3.06 राष्ट्रीय प्रतीक भाषा संस्थान	2235	3.00	...	3.00
3.07 ब्रेल छापाखानों की स्थापना/आधुनिकीकरण	2235	9.00	...	9.00
3.08 सार्वभौमिक डिजाइन एवं बाधामुक्त परिवेश के लिए राष्ट्रीय संस्थान/केंद्र	2235	0.37	...	0.37
3.09 निःशक्त व्यक्तियों के लिए खेलकूद कार्यक्रमों के आयोजन हेतु केंद्र की स्थापना	2235	1.00	...	1.00
3.10 आत्म विमोह, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंद बुद्धि रोग और बहुल विकलांगता के शिकार व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास	2235	4.50	...	4.50
3.11 राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य लाभ संस्थान	2235	0.01	...	0.01
3.12 देश के पांच क्षेत्रों में बधिर व्यक्तियों के लिए कालेज स्थापित करना	2235	0.10	...	0.10

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
3.13 राष्ट्रीय पुनर्वास विज्ञान और निःशक्तता अध्ययन विश्वविद्यालय	2235	45.00	...	45.00
3.14 पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम के लिए प्रावधान	2552	14.60	...	14.60
	4552	3.00	...	3.00
जोड़	17.60	...	17.60
जोड़- स्वायत्त निकाय तथा संस्थाएं	217.58	64.74	282.32
सं.अ. 2015-2016												
4. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	2251	2.53	7.17	9.70	4.00	11.62	15.62	3.25	10.88	14.13
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण												
विकलांग व्यक्तियों का कल्याण												
5. दीनदयाल निःशक्त व्यक्ति पुनर्वास स्कीम	2235	50.08	...	50.08	54.00	...	54.00	47.00	...	47.00
6. राष्ट्रीय अन्ध, बधिर, मानसिक विक्रम और अस्थ विकलांग संस्थान	2235	78.97	54.48	133.45	98.72	55.12	153.84	100.00	56.18	156.18
7. कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम	2235	21.00	...	21.00	5.00	...	5.00
8. भारतीय पुनर्वास परिषद	2235	3.72	1.65	5.37	3.00	1.90	4.90	3.00	1.90	4.90
9. निःशक्त व्यक्तियों के लिए सहायक सामग्री और उपकरण	2235	101.16	...	101.16	112.95	...	112.95	136.35	...	136.35
10. निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन की स्कीमें	2235	31.98	...	31.98	95.80	...	95.80	63.28	...	63.28
	3601	11.11	...	11.11	22.20	...	22.20	15.95	...	15.95
जोड़	...	43.09	...	43.09	118.00	...	118.00	79.23	...	79.23
11. शारीरिक विकलांग व्यक्तियों के रोजगार की स्कीम	2235	0.46	...	0.46	0.45	...	0.45	0.45	...	0.45
12. निःशक्त छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	2235	10.80	...	10.80	9.00	...	9.00
	3601
जोड़	10.80	...	10.80	9.00	...	9.00
13. राजीव गांधी राष्ट्रीय विकलांग अध्येता वृत्ति	2235	7.46	...	7.46	7.20	...	7.20	19.77	...	19.77
14. विकलांग व्यक्तियों के कल्याण हेतु अन्य कार्यक्रम	2235	13.79	2.15	15.94	41.99	2.80	44.79	51.09	1.99	53.08
	3601
जोड़	...	13.79	2.15	15.94	41.99	2.80	44.79	51.09	1.99	53.08
जोड़-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण		298.73	58.28	357.01	468.11	59.82	527.93	450.89	60.07	510.96
जोड़-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण		298.73	58.28	357.01	468.11	59.82	527.93	450.89	60.07	510.96
राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की आयोजना												
15. राष्ट्रीय निःशक्त व्यक्ति कार्यक्रम	2552	0.50	...	0.50

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
3601	4.50	...	4.50	0.01	...	0.01	
जोड़	5.00	...	5.00	0.01	...	0.01	
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण													
समाज कल्याण													
16. द्विपक्षीय करार के तहत सामग्री सहायता संबंधी संवितरण खर्च	2235	0.10	0.10	
17. सार्वजनिक उद्यमों के निवेश	4235	36.58	...	36.58	31.50	...	31.50	31.85	...	31.85	
18. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजना/स्कीम हेतु एकमुश्त प्रावधान	2552	53.29	...	53.29	50.85	...	50.85	
	4552	3.50	...	3.50	3.15	...	3.15	
जोड़	56.79	...	56.79	54.00	...	54.00	
कुल जोड़	337.84	65.45	403.29	565.40	71.54	636.94	540.00	70.95	610.95	700.00	83.56	783.56	
विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	
ख. सार्वजनिक उद्यम में निवेश													
3.01 राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम	22235	36.58	...	36.58	31.50	...	31.50	31.85	...	31.85	27.00	...	27.00
जोड़	36.58	...	36.58	31.50	...	31.50	31.85	...	31.85	27.00	...	27.00	
ग. योजना परिव्यय													
केन्द्रीय योजना:													
1. सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	22251	2.53	...	2.53	4.00	...	4.00	3.25	...	3.25	
2. सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	22235	335.31	...	335.31	499.61	...	499.61	482.74	...	482.74	629.99	...	629.99
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	56.79	...	56.79	54.00	...	54.00	70.00	...	70.00
जोड़ - केन्द्रीय योजना	337.84	...	337.84	560.40	...	560.40	539.99	...	539.99	699.99	...	699.99	
राज्य योजना:													
1. नि:शक्त व्यक्तियों हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम	43601	5.00	...	5.00	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
जोड़ - राज्य योजना	5.00	...	5.00	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	
जोड़	337.84	...	337.84	565.40	...	565.40	540.00	...	540.00	700.00	...	700.00	

1. **सचिवालय:** इसमें नि:शक्तता कार्य विभाग के सचिवालय व्यय तथा मुख्य नि:शक्तता आयुक्त के लिए व्यय का प्रावधान है।

2. **नि:शक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम:**

2.01. **विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति:** इस प्रावधान में विकलांग छात्रों को एम.फिल, पीएच.डी के लिए अनुसंधान अध्ययन करने और विश्वविद्यालयों, संस्थानों और वैज्ञानिक संस्थानों में समतुल्य अनुसंधान डिग्री प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था की गई है।

2.02. **विकलांगजनों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति:** विकलांग विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर तथा पीएचडी डिग्री के स्तर पर विदेश में शिक्षा प्राप्त करने हेतु, वित्तीय सहायता प्रदान करना। प्रतिवर्ष 20 छात्रवृत्तियां प्रदान की जानी हैं, जिनमें से 06 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।

2.03. **विकलांगजनों के लिए सर्वोत्तम श्रेणी की शिक्षा:** विकलांगजनों को सर्वोत्तम श्रेणी की शिक्षा हेतु, प्रावधान।

2.04. **विकलांग विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति:** इस योजना का उद्देश्य मैट्रिकोत्तर अथवा माध्यमिकोत्तर स्तर पर अध्ययनरत विकलांग विद्यार्थियों को उच्चतर शिक्षा ग्रहण करने में सक्षम बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

2.05. **विकलांग विद्यार्थियों के लिए प्रि-मैट्रिक छात्रवृत्ति:**

2.06. **विकलांगजनों के लिए मुफ्त कोचिंग:** विकलांगजनों को सरकारी/सार्वजनिक/निजी क्षेत्र की प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए उन्हें सक्षम बनाने हेतु कोचिंग का प्रावधान।

2.07. **सूचना एवं जनशिक्षा:** विभाग की योजनाओं के प्रचार के लिए निधियां जारी की जाती हैं।

2.08. **निःशक्त व्यक्तियों को सेवाकालीन प्रशिक्षण तथा संवेदीकरण, राष्ट्रीय मिशन तथा राज्य मिशन एवं जागरूकता सृजन एवं प्रचार:** केन्द्र/राज्य सरकारों/स्थानीय निकायों तथा अन्य सेवा प्रदाताओं को विकलांगता क्षेत्र का सामना करने वाले नये एवं महत्वपूर्ण मुद्दों के संबंध में प्रशिक्षित एवं सुग्राही बनाना। निःशक्त व्यक्तियों को रोजगार देने से संबंधित राष्ट्रीय मिशन एवं राज्य मिशन एवं जागरूकता सृजन तथा प्रचार के लिए प्रावधान किए गए हैं।

2.09. **शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायक यंत्र और उपकरण:** इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद विकलांग व्यक्तियों को टिकाऊ, अत्याधुनिक, वैज्ञानिक रूप से विनिर्मित, आधुनिक और मानक सहायक सामग्री और उपकरण प्राप्त करने के लिए सहायता देने के लिए विभिन्न कार्यान्वयन कर्ता अभिकरणों को सहायता अनुदान प्रदान करना है जो उनकी शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को बढ़ा सके।

2.10. **विकलांगता से संबंधित प्रौद्योगिकी उत्पादों एवं मुद्दों संबंधी अनुसंधान:** अनुसंधान उद्देश्य के लिए प्रावधान।

2.11. **दीनदयाल विकलांगजन पुनर्वास योजना:** इस योजना के अंतर्गत शिक्षा, प्रशिक्षण और अन्य सहबद्ध कार्यक्रमों के जरिए, विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता अनुदान मंजूर किए जाते हैं।

2.12. **द्विपक्षीय करारों के तहत निशुल्क खेपों के क्लीयरेंस संबंधी कार्य करना:** द्विपक्षीय करारों के अंतर्गत विदेशों से प्राप्त उपहार प्रेषणों से संबंधित परिवहन तथा आनुषंगिक व्यय को पूरा करने के लिए प्रावधान है। करारों में गरीब और जरूरतमंद लोगों के सहायता और उन्हें राहत देने के लिए उनके पुनर्वास के लिए इस विभाग में पंजीकृत प्राप्तकर्ता स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से दान स्वरूप दी गई आपूर्तियों को भारत में निशुल्क लाने की अभिकल्पना की गई है।

2.13. **निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के क्रियान्वयन की योजनाएं:** इस योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा स्थापित विभिन्न निकायों और स्वायत्तशासी निकायों और विश्वविद्यालयों को निशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के उपबंधों के कार्यान्वयन, विशेष रूप से सुगम्य भारत अभियान एवं पुनर्वास और बाधरहित पहुंच व्यवस्था करने से संबंधित कार्यक्रमों को सहयोग देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। बाधरहित पहुंच जिसमें रैम्प, लिफ्ट, टेक्टाइल पाथ, विकलांगजन अनुकूल शौचालय, नवउत्पाद विकास, विकलांगजन अनुकूल वेबसाइट का सृजन और अनुसंधान शामिल हैं, सहित व्यापक कार्यक्रमों के लिए सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है। महत्वपूर्ण कार्यालय भवनों और सरकारी वेबसाइटों तक पहुंच बनाने पर जोर दिया जाता है। इस स्कीम का नाम सुगम्य भारत अभियान है।

2.14. **राज्य स्पाइनल इंजुरी केन्द्र स्थापित करना:** स्पाइनल इंजुरी केन्द्र की स्थापना करने के लिए राज्य सरकार को सहायता देना।

2.15. **अशक्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम:** यह राज्य योजना स्कीम जिसके पास पीडब्ल्यू डी समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रम के लिए हॉस्टल जैसे घटक होंगे और अन्य सभी क्रियाकलापों के लिए पीडब्ल्यूडी के अधिनियम का क्रियान्वयन अपेक्षित होगा।

3.01. **राष्ट्रीय अन्ध, बधिर, मानसिक विकसित और अस्थि विकलांग व्यक्ति संस्थान:** ये संस्थान, विकलांगता के क्षेत्र में प्रशिक्षित जनशक्ति का विकास करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाते हैं और विभिन्न अन्य पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। ये संस्थान पंजीकृत समितियां हैं और केन्द्र सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित हैं।

3.02. **भारतीय पुनर्वास परिषद:** इस प्रावधान में भारतीय पुनर्वास परिषद जो एक शीर्ष सांविधिक निकाय है, को देश में विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के क्षेत्र में व्यावसायिकों के प्रशिक्षण में समान मानक लागू करने के लिए सहायता अनुदान देने का प्रावधान है।

3.03. **कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम:** यह निगम निःशक्त व्यक्तियों के लिए कृत्रिम अंग निर्माण का कार्य करता है।

3.04. **राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम:** इस प्रावधान में राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम के लिए शेयर पूंजी की व्यवस्था की गई है।

3.05. **स्पाइनल इंजुरी केन्द्र:** सरकार गरीब मरीजों के इलाज के लिए 25 मुफ्त बैड उपलब्ध कराने के लिए आईएसआईसी की सहायता करती है।

3.06. **राष्ट्रीय संकेत भाषा संस्थान हेतु प्रावधान:** ये संस्थान, विकलांगता के क्षेत्र में प्रशिक्षित जनशक्ति का विकास करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाते हैं और विभिन्न अन्य पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं।

- 3.07. **ब्रेल प्रैसों की स्थापना/आधुनिकीकरण:** राज्यों में ब्रेल प्रैस स्थापित करना, जहां पहले से ही सुदृढ़ संगठन मौजूद हैं।
- 3.08. **नेशनल इंस्टिट्यूट/सेंट्रल फॉर यूनिवर्सल डिजाइन एण्ड बामर फ्री इन्वायरमेंट:** नेशनल इंस्टिट्यूट/सेंट्रल फार यूनिवर्सल डिजाइन एण्ड बामर फ्री इन्वायरमेंट का प्रावधान
- 3.09. **विकलांगता खेलकूद हेतु केन्द्र की स्थापना।:** यह प्रावधान विकलांगजनों को खेलकूदों के लिए प्रेरित करने के लिए है।
- 3.10. **राष्ट्रीय न्यास की निधि से प्रमस्तिष्कीय घात, मानसिक मंदबुद्धि तथा बहुल निःशक्तता से शिकार व्यक्तियों के कल्याण हेतु धनराशि जारी की जाती है।:** इस योजना के अंतर्गत निधियां राष्ट्रीय न्यास को उनकी योजनाओं के लिए जारी की जाती है।
- 3.11. **राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान:** यह योजना तैयार की जा रही है।
- 3.12. **देश के 5 क्षेत्रों में बंधियों के लिए, कॉलेज की स्थापना।:** श्रवण बाधित विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना, इस बजट प्रावधान का उद्देश्य श्रवण बाधित विद्यार्थियों के लिए कॉलेज स्थापित करना है।
- 3.13. **नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंस एण्ड डिसेबिलिटीज स्टडीज:** 2015-16 के बजट में की गई घोषणा के अनुसार नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंस एण्ड डिसेबिलिटीज स्टडीज को स्थापित करने के लिए प्रावधान किया गया है।